न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 36/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 26.03.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

रामभरोस आत्मज रामकल्याण जाति धाकड़ निवासी ग्राम मेहराना, तहसील दीगोद, जिला कोटा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.06.2025

अपीलांट ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 22/2022 बउनवान रामभरोस बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर द्वारा पटवारी हल्का की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट रामभरोस पुत्र रामकल्याण जाति धाकड़ निवासी महराना को ग्राम महाराना की आराजी खसरा सं0 165 रकबा 0.04 है0 किस्म भूमि गै0मु0बेहड़ पर अतिक्रमी मानते हुए 68/– रूपये शास्ति आरोपित कर उक्त अतिक्रमि आराजी से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 29.03.2022 की अपील अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा को प्रस्तुत करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए निर्णय दिनांक 27.05.2022 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई।

2 उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का

अति. सं. आयुक्त
कोटा

अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो, सर्वथा त्रुटिपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70–80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य के खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, किंतु फिर भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के कब्जे वाली आराजी आबादी से घिरी हुई है तथा आबादी के आस–पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के लिये कार्यवाही कर रखी है, किंतु फिर भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट के दस्तावेजी साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया जो, सर्वथा त्रुटिपूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70–80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य के खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, किंतु फिर भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अपीलांट के राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया जाकर काबिज होने से नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर के द्वारा शास्ति आरोपित करते हुए अतिक्रमित राजकीय भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपील निर्णय दिनांक 27.05.2022 से खारिज की गई है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब

24/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

तहसीलदार, सुल्तानपुर द्वारा पटवारी हल्का की भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट रामभरोस पुत्र रामकल्याण जाति धाकड़ निवासी महराना को ग्राम महाराना की आराजी खसरा सं0 165 रकबा 0.04 है0 किस्म भूमि गै0मु0बेहड़ पर अतिक्रमी मानते हुए 68/– रूपये शास्ति आरोपित कर उक्त अतिक्रमि आराजी से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 29.03.2022 की अपील अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा को प्रस्तुत करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानते हुए निर्णय दिनांक 27.05.2022 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अपीलांट अपने पूर्वजों के समय लगभग 70–80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य के खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकट होता है कि अपीलांट के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन न तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं न ही इस न्यायालय में साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये गये, जिससे अपीलांट के अधिकार प्रश्नगत आराजी पर साबित होते हो। चुंकि अपीलांट को सिवायचक भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी होने से बेदखल किया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नहीं होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

24/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. स. आयुक्त
कोटा